न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– **श्री गोविंद सिंह आर.ए.एस.**
पत्रावली संख्या. 16/2024
किस्म :–प्रार्थना–पत्र
दायर दिनांक : 03.12.2024 **निर्णय दिनांकः 10.05.2025**

उनवान

1. रतनलाल पिता चम्पालाल जाति जाट निवासी लोढियाणा तहसील सरदारगढ जिला राजसमन्द

बनाम

1. देवनारायण स्थान देह जरिये पुजारी मांगीलाल पिता जाति भील निवासी सिमाल तहसील सरदारगढ जिला राजसमन्द (राज०)
2. चुन्नीलाल पिता भैरूलाल जाति जाट
3. छितरमल पिता भैरूलाल जाति जाट
4. नानालाल पिता भैरूलाल जाति जाट
5. कजोडीमल पिता किशनलाल जाति जाट
6. प्यारीबाई पुत्री नाथू जाति जाट
7. बद्रीलाल पिता नाथू जाति जाट
   सभी निवासीयान लोढियाणा तहसील सरदारगढ जिला राजसमन्द
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, आमेट जिला राजसमन्द

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण की ओर से :– **अधिवक्ता प्रमोद लक्ष्कार**
विपक्षी संख्या 02,03,04,05 की ओर से :– **अधिवक्ता संदीप वैष्णव, विरेन्द्रसिंह**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 रिकॉर्ड मे रास्ता दर्ज करने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम लोढियाणा पटवार हल्का लोढियाणा तहसील सरदारगढ जिला राजसमन्द में प्रार्थी के हक अधिकार व आधिपत्य की भूमिया जिसके आराजी नम्बर 1347 रकबा 0.6800 हैक्टेयर हैं। प्रार्थी के हक अधिकार व आधिपत्य की है जिसके आराजी नम्बर 1347 होकर उसमें जाने का एक मात्र रास्ता जो मुख्य सडक ग्राम लोढियाणा की आराजी नम्बर 1276 से होकर विपक्षी संख्या 01 की भूमि आराजी नम्बर 1332, विपक्षी संख्या 02, 03, 04 की भूमि आराजी नम्बर 1339 के सहारे सहारे होते हुये विपक्षी संख्या 05 की भूमि आराजी नम्बर 1340 के सहारे सहारे होते हुये विपक्षी संख्या 06 व 07 की आराजी नम्बर 1348 के मुहाने पर होते हुये आराजी नम्बर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

1347 में जाने का एक मात्र रास्ता स्थित हैं तथा उसी से होकर प्रार्थी के हक अधिकार व आधिपत्य की भूमि आराजी नम्बर 1347 में आया जाया जाता हैं। उक्त रास्ता आराजी नम्बर 1332, 1339, 1340 के पश्चिम दिशा की तरफ होता हुआ उक्त आराजीयात के सहारे सहारे आराजी नम्बर 1348 तक जाता है तथा आराजी नम्बरं 1348 के उत्तर की ओर होते हुये आराजी नम्बर 1347 मे जाता है। उक्त भूमि में जाने वाला रास्ता आज भी विद्यमान हैं परन्तु उक्त रास्ता काफी सकडा होकर उसमें साधन लाने ले जाने में काफी परेशानी होती है तथा रास्ता सकडा होने के कारण सम्पति का उपयोग ही नही हो पा रहा हैं। उक्त रास्ता वर्तमान में 5–6 फीट हैं। जिस कारण प्रार्थी व काश्तकार को अपने साधन टेक्टर टोली बैलगाडी आदि नही ला ले जा पा रहे हैं। सम्बन्धीत खातेदार आये दिन रास्ते को ओर सकडा करते जा रहे हैं। जो विद्यमान रास्ता हैं वह काफी सकडा हैं और उक्त रास्ते को 15 फिट चौडा किया जाना नितान्त अनिवार्य हैं। ताकि भूमि का उपयोग उपभोग हो सकें। रास्ता सकडा होने के कारण भूमि का उपयोग उपभोग नही हो पा रहा हैं और भूमि बंझड और उसर हो रही हैं। पक्षकारान व काश्तकार के मध्य आये दिन विवाद होते रहते हैं। इन परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया है कि ग्रास लोढियाणा पटवार हल्का लोढियाणा तहसील सरदारगढ जिला राजसमन्द में स्थित प्रार्थी के हक अधिकार की भूमि जिसके आराजी नम्बर 1347 में जाने के लिये आराजी नम्बर 1332, 1339, 1340 एवं 1348 में होते हुए विद्यमान रास्ते को चौडा किया जावें और उक्त रास्ते को गे.मु.रास्ता में दर्ज किया जावें या प्रार्थी को अपने हक अधिकार की भूमि आराजी संख्या 1347 में जाने के लिये रास्ता दिलवाया जावें व उक्त रास्ता बिलानाम गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावें। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार मुआवजा राशि जमा करवाने को तैयार हैं। प्रार्थी की भूमि में जाने के लिये रास्ता कायम किया जावें व खातेदारी में रास्ता दर्ज किया जावें जिसके लिये प्रार्थना पत्र पेश हैं। ऐजी बाई का देहान्त हो चुका है तथा उसके वारिश विपक्षी संख्या 02,03,04 है तथा तहसीलदार साहब, राजस्थान राज्य की ओर से सम्भावित आपत्ति के निवार्णार्थ पक्षकार बनाया गया हैं। प्रार्थना पत्र के लिये कारण दिनांक 20.11.2024 को जब विपक्षीगण द्वारा जबरन रास्ते को सकडा किया जाने का प्रयास किया बमुकाम लोढियाणा न्यायालय क्षेत्र आप में उत्पन्न हुआ हैं।

अतः श्रीमान् से अनुरोध हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.ए. को स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के हक अधिकार व आधिपत्य की है जिसके आराजी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

नम्बर 1347 होकर उसमें जाने का एक मात्र रास्ता जो मुख्य सडक ग्राम लोढियाणा की आराजी नम्बर 1276 से होकर विपक्षी संख्या 01 की भूमि आराजी नम्बर 1332, विपक्षी संख्या 02, 03, 04 की भूमि आराजी नम्बर 1339 के सहारे सहारे होते हुये विपक्षी संख्या 05 की भूमि आराजी नम्बर 1340 के सहारे सहारे होते हुये विपक्षी संख्या 06 व 07 की आराजी नम्बर 1348 के मुहाने पर होते हुये आराजी नम्बर 1347 में जाने का एक मात्र रास्ता स्थित हैं को 15 फीट चोडा किया जाकर उक्त रास्ता बिलानाम गै.मु. खातेदार रास्ता दर्ज किया जावे। विद्यमान रास्ते को चौडा किया जावें और उक्त रास्ते को गे.मु.रास्ता में दर्ज किया जावें या प्रार्थी को अपने हक अधिकार की भूमि आराजी संख्या 1347 में जाने के लिये रास्ता दिलवाया जावें व उक्त रास्ता बिलानाम बिलानाम गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावें। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार मुआवजा राशि जमा करवाने को तैयार हैं। प्रार्थी की भूमि में जाने के लिये रास्ता कायम किया जावें व खातेदारी में रास्ता दर्ज किया जावें। प्रार्थना पत्र व्यय व वकील मेहनताना व हर्जा खर्चा प्रार्थी को दिलवाया जावें। अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे प्रार्थी के पक्ष में दिया जा सके दिलवाया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 02,03,04,05 की तरफ से अधिवक्ता संदीप वैष्णव ने वकालत नामा पेश किया। दिनांक 06.05.2025 को विपक्षी संख्या 02,03,04,05 की तरफ से कोई उपस्थित नही, न ही उनके अधिवक्ता उपस्थित और न ही जवाब विपक्षी प्रस्तुत किया गया जिससे उक्त विपक्षी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 01, 06, 07 उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। तहसीलदार सरदारगढ़ ने मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लोढीयाना के आ०न० 1347 रकबा 0.6800 हैक्टयर श्री रतन लाल पिता अम्बलाल जाति जाट को आ0न0 1332,1339,1340,1348, मे होते हुए अपनी खातेदारी भूमि आ०न० 1347 में जाने हेतु 15 फिट चौडे रास्ते की आवश्यकता है। प्रतिवादी व उपस्थित लोगो द्वारा बताया गया की वादी को आ०न० 1334,1336,1337,1493/1344, मे होकर 1347 मे जायेगा। प्रस्तावित रास्ते मे वर्तमान मे कोई भी पेड–पोध मौजूद नही है। दोनो प्रस्तावित रास्ते मे सबसे नजदिक रास्ते के लिये आ०न० 1332,1339,1340,1348 से होकर 1347 मे जायेगा जो 15 फिट चोडा रास्ता रहेगा आ0न0 1332 में 147 वर्गमीटर व 1339 में 496 वर्गमीटर 1340मे 607 वर्गमीटर व 1348 में 294 वर्गमीटर रास्ते के लिये उपयोग होगी यह कुल भूमि 1344

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

वर्गमीटर भूमि रास्ते के लिये उपयोग मे आयेगी । ग्राम लोढीयाना की आ०न० 1332 रकबा 0.3200 हैक्टयर मे से 147 वर्गमीटर देवनारायण जी स्थान देह के नाम दर्ज रिकार्ड है 1339रकबा 2.1400 है० भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार छीतरमल पुत्र भैरूलाल एजी पत्नि भैरूलाल, नानालाल पुत्र भैरूलाल, चुन्नीलाल पुत्र भैरूलाल के नाम दर्ज रिकार्ड है इसमे से लगभग 496 वर्गमीटर भूमि आती है आ०न० 1340 रकबा 0.2800 हैक्टयर कजोडीमल पुत्र किशनलाल के नाम दर्ज है इसमे से 607 वर्गमीटर भूमि रास्ते के लिये आयेगी आ०न0 1348 रकबा 0.7600 है० बद्रीलाल पुत्र नाथू प्यारी पुत्री नाथु के नाम दर्ज रिकार्ड है इस में से 294 वर्गमीटर भूमि आयेगी। विपक्षीगण के आराजी नम्बर 1332, 1339, 1340, 1348 मे से क्रमशः 147, 446, 607, 294 वर्गमीटर कुल 1544 वर्गमीटर भूमि आने जाने के काम आयेगी।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि आराजी नम्बर 1347 होकर उसमें जाने का एक मात्र रास्ता जो मुख्य सडक ग्राम लोढियाणा की आराजी नम्बर 1276 से होकर विपक्षी संख्या 01 की भूमि आराजी नम्बर 1332, विपक्षी संख्या 02, 03, 04 की भूमि आराजी नम्बर 1339 के सहारे सहारे होते हुये विपक्षी संख्या 05 की भूमि आराजी नम्बर 1340 के सहारे सहारे होते हुये विपक्षी संख्या 06 व 07 की आराजी नम्बर 1348 के मुहाने पर होते हुये आराजी नम्बर 1347 में जाने का एक मात्र रास्ता स्थित हैं को 15 फीट चोडा किया जाकर उक्त रास्ता बिलानाम गै.मु. खातेदार रास्ता दर्ज किया जावे। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

दौरान कार्यवाही पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन कर तहसीलदार सरदारगढ की मौका रिपोर्ट से जाहिर है कि प्रार्थी को मौके पर आराजी नं. 1347 भूमि मे आने–जाने हेतु राजस्व रेकार्ड मे कोई रास्ता दर्ज नही है, न ही उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 1347 मे आने–जाने हेतु विपक्षी की आराजी नं. 1332 रकबा 0.3200 हैक्टेयर भूमि मे से 147 वर्गमीटर, आराजी नम्बर 1339 रकबा 2.1400 हैक्टेयर भूमि मे से 446 वर्गमीटर, आराजी नम्बर 1340 रकबा 0.2800 हैक्टेयर मे से 607 वर्गमीटर, आराजी नम्बर 1348 रकबा 0.7600 हैक्टेयर मे से 294 वर्गमीटर कुल रकबा 1544 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

:: आदेश ::

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम लोढियाणा पटवार हल्का लोढियाणा तहसील सरदारगढ जिला राजसमन्द में प्रार्थी के हक अधिकार व आधिपत्य की भूमिया जिसके आराजी नम्बर 1347 रकबा 0.6800 हैक्टेयर में आने–जाने के लिए विपक्षी की आराजी नं. 1332 रकबा 0.3200 हैक्टेयर भूमि मे से 147 वर्गमीटर, आराजी नम्बर 1339 रकबा 2.1400 हैक्टेयर भूमि मे से 446 वर्गमीटर, आराजी नम्बर 1340 रकबा 0.2800 हैक्टेयर मे से 607 वर्गमीटर, आराजी नम्बर 1348 रकबा 0.7600 हैक्टेयर मे से 294 वर्गमीटर **कुल रकबा 1544 वर्गमीटर** बिलानाम रास्ता निम्नानुसार दिया जाना दिया जाना प्रस्तावित किया गया है जिसकी कुल दुगुनी राशि **133536/– तहसील कार्यालय में जमा करावें।** उक्त राशि जमा कराने के पश्चात् राजस्व अभिलेख में तथा नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ते का अंकन किया जावें तथा उक्त रास्ता सार्वजनिक रास्ता रहेगा।

क.स.	आ.न.	रकबा	रास्ते के आने वाली भूमि	वर्तमान डीएलसी	राशि	रास्ते हेतु दुगुनी राशि
1	1332	0.3200 हैक्टेयर	147 वर्गमीटर	446000/–	6557/–	13114/–
2	1339	2.1400 हैक्टेयर	446 वर्गमीटर	446000/–	19892/–	39784/–
3	1340	0.2800 हैक्टेयर	607 वर्गमीटर	446000/–	27073/–	54146/–
4	1348	0.7600 हैक्टेयर	294 वर्गमीटर	446000/–	13246/–	26492/–
योग			**1544 वर्गमीटर**		**66768/–**	**133536/–**

(गोविन्द सिंह)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक 10.05.2025 को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

(गोविन्द सिंह)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)